

अटल पेंशन योजना अनश्चितिकाल तक वसितारति

चर्चा में क्यों?

हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अटल पेंशन योजना, जो कअगस्त 2018 में समाप्त हो गई थी, को अनश्चितिकाल तक बढ़ाने का फैसला लिया है।

प्रमुख बढि

- इस योजना के अंतर्गत 28 अगस्त, 2018 के बाद खाता खोलने वाले सभी खाताधारकों के लिये दुर्घटना बीमा की राशरि 2 लाख रुपए होगी जो कपहले 1 लाख रुपए की सीमा की दोगुनी हो जाएगी।
- औसत आयु-प्रत्याशा में वृद्धि को देखते हुए सरकार ने इस योजना के लिये अधिकतम आयु को पाँच वर्ष बढ़ा दिया है। उल्लेखनीय है कइससे पहले 18 से 60 साल की उमर के लोग इस योजना में नामांकन कर सकते थे लेकिन अब 18 से 65 वर्ष की उमर के लोग इसके लिये आवेदन कर सकते हैं।
- योजना की ओवरड्राफ्ट सुवधि को भी 5,000 रुपए से बढ़ाकर 10,000 रुपए तक कर दिया गया है।

पृष्ठभूमि

- असंगठित क्षेत्र में समाज के आर्थिक रूप से पछड़े वर्ग को पेंशन अथवा वृद्धावस्था में आय सुरक्षा के दायरे में लाने के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा मई 2015 में 'अटल पेंशन योजना' की शुरुआत की गई थी।
- इसे 'राष्ट्रीय पेंशन स्कीम तंत्र' के माध्यम से 'पेंशन फंड वनियामक और विकास प्राधिकरण' (PFRDA) द्वारा प्रशासित किया जाता है।